प्रेस विज्ञाप्ति

8.07% सरकारी स्टॉक, 2017 की अदायगी-प्रेस विज्ञाप्ति जारी करना।

8.07% सरकारी स्टॉक, 2017 के बकाया शेष 13 जनवरी, 2017 (14 और 15 जनवरी, 2017 को क्रमशः बैंक अवकाश एवं रविवार होने के कारण) सममूल्य पर अदायगी योग्य है। उस पर 15 जनवरी, 2017 से कोई ब्याज प्रोद्भूत नहीं होगा यदि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा 13 जनवरी, 2017 को अवकाश घोषित किया जाता है तो उस राज्य में भुगतान कर्ता कार्यालयों द्वारा ऋण/ऋणों की अदायगी उसके पहले के कार्य दिवस को की जाएगी।

2. सरकारी प्रतिभूति विनियमन, 2007 के उप विनियम 24(2) और 24(3) के अनुसार अनुसंगी सामान्य लेजर या संघटक अनुसंगी सामान्य लेजर खाता या स्टॉक प्रमाण पत्र में धारित सरकारी प्रतिभूतियों के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उसके बैंक खाते का संगत विवरण देते हुए भुगतान आदेश द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियां प्राप्त करने की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जा सकता है। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान करने प्रयोजन से वैसी सरकारी प्रतिभूतियों का मूल अभिदानकर्ता या बाद का धारक पहले ही अपने बैंक खाते का संगत विवरण प्रस्तुत करेंगे।

तथापि, बैंक खाते के संगत विवरण/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निधियां प्रदान करने हेतु अनिवार्य के अभाव में नियत तारीख को ऋण की अदायगी सुसाध्य बनाने के लिए धारक भुगतान की नियत तारीख से 20 दिन पहले विधिवत रूप से उन्मोचित प्रतिभूतियों को लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी बैंकों की शाखाओं (जहां उनका भुगतान हेतु मुखांकित/पंजीकृत किया गया है) में जमा कर सकते हैं।

3. उन्मोचन मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा उपर्युक्त में से किसी भी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांकः 13 दिसंबर, 2016